न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 68/2017

GCMS NO 2017/00038

1. मुरारी पुत्र मूडया
2. चन्दन पुत्र मूडया
3. जलधारी पुत्र मूडया
4. भरतलाल पुत्र मूडया
5. कोडी पत्नि मुरारी
6. स्वरूपी पत्नि चन्दन
7. गोलू पुत्र मुकेश उम्र 10 वर्ष नावालिंग जरिये संरक्षक माता मनीषा
8. मनीषा बेवा मुकेश समस्त जातियान मीना निवासीयान तिमावा तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

वनाम

1. गंगासहाय पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी तिमावा तहसील नादौती
2. धीर सिह पुत्र नेहनपाल जाति मीना निवासी तिमावा तहसील नादौती
3. छीतर पुत्र कलुआ जाति मीना निवासी तिमावा तहसील नादौती
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील नादौती

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 31/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.15 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नादौती)

अभिभाषक अपीला0 श्री रिषीराम मीना

अभिभाषक रैस्पो0 श्री श्याम मोहन शर्मा

दिनांक 26.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.15 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 गंगासहाय व 2 के पिता नेहनपाल द्वारा एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती व हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की आराजी साबिक खसरा न0 494/536/636 रकबा 6 बीघा स्थित ग्राम तिमावा है। जो कि वादीगण को आवंटन हुई थी। उक्त भूमि से किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता नही है। उक्त साबिक खसरा न0 के नवीन खसरा न0 1394 रकबा 1.25 है0 कायम हुए है एवं वादीगण ही एक मात्र खातेदार काश्तकार है। दौराने भू प्रबंध कार्यवाही वादीगण का साबिक रकबे के मुकाबले 0.25 है0 भूमि कम दी गई है। सेटलमेट विभाग द्वारा वादीगण को साबिक के मुकाबले 1.50 है0 भूमि दी जानी चाहिए थी। परन्तु मात्र 1.25 है0 रकबा ही दिया जो साबिक के मुकाबले 0.25 है0 कम है। भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान वादीगण की हिस्से की भूमि मे से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने साज कर ख0न0 1393 रकबा 0.26 है0 तथा 1394 मे से कम करवा कर अपने नाम दर्ज करवा लिया है। जबकि प्रतिवादीगण का ना तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

इस भूमि से कोई वास्ता है और ना ही कब्जा काश्त है एवं प्रतिवादीगण की पूर्व से इस भूमि के पास कोई भूमि नही है। वादीगण के खेत की चारो तरफ से साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार डोला मेड हो रही है। वादीगण की आराजी के लगते हुए जोडोयो एवं मुसलमानो के कब्रिस्तान/श्मशान घाट है । जिसके बाद प्रतिवादीगण की भूमि आती है। दिनांक 18.8.96 को वादीगण अपने उक्त खेतो पर जोत करने गये तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 मौके पर आ गये तथा वादीगण से कहा कि इस भूमि मे हमारी भूमि भी है। तथा हम इस वर्ष काश्त करेगे। तब वादीगण को इस बात पर आश्चर्य हुआ तथा पटवारी हल्का से नकल लेने पहुँचा तक ज्ञात हुआ कि भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियो ने वादीगण की उक्त भूमि का रकबा कम कर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी मे शामिल कर दिया। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। अतः वादीगण का दावा इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण की आराजी हाल ख0न0 1393 रकबा 26 ऐयर, 1393/2546 रकबा 14 ऐयर के खातेदार काश्तकार है। तथा इसी प्रकार प्रतिवादी न0 1 ता 3 का उक्त भूमि की खातेदारी से नाम हजफ किया जावे तथा प्रतिवादी न0 11 को राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का रकबा गत के मुकाबले हाल रिकार्ड मे पूरा किया जावे तथा प्रतिवादीगण 1 ता 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण की उक्त भूमि के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण द्वारा अपीलांट की प्रोपर तामील नही कराई गई तथा दौराने दावा प्रतिवादी न0 1 व 2 तथा प्रतिवादी न0 8 की मृत्यु हो गई जिनके बिना कायम मुकाम बनाये प्रतिवादी न0 1, 2 व 8 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये बिना वारिसान को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय जल्दबाजी मे बिना न्यायिक विवेक के प्रयोग मे लाये पारित कर दिया। जो कि खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। जल्दबाजी का सबसे बडा प्रमाण यह है कि दिनांक 29.5.15 की आदेशिका द्वारा दिनांक 18.6.15 नियत की गई। लेकिन दिनांक 12.6.15 को ही उपरोक्त कार्यवाही कर दिनांक 18.6.15 को उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 18.6.15 की आदेशिका मे भी आदेश सुनाना का तथ्य अंकित किया है जबकि आदेश दिनांक 15.7.15 को पारित किया है। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण कार्यवाही ... है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे ... राजस्व रिकार्ड नही था जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वादीगण की आराजी ... फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने एक मात्र इतना कहकर की यह जमीन ... हुई है भू प्रबंध विभाग को 6 बीघा जमीन वादीगण के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करनी चाहिए ...। जो उन्होने नही की तथा रकबा कम

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:22 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

होने से प्रतिवादीगण के खाते से कम कर वादीगण के खाते मे लगाई जावे। इस प्रकार तहत न्यायालय ने प्रोपर प्रोसेसे एडोप्ट किये बिना मृतक व्यक्तियो के खिलाफ उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है इस प्रकार के निर्णय व डिक्री शून्य आदेश की श्रेणी मे आते है। इस प्रकार के आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय मे चुनौती दी जाकर रद्द कराया जा सकता है। विवादित आराजीयात पर वादीगण का कभी भी कब्जा नही रहा है उक्त आराजी पर अपीलांट शुरू से ही काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होते चले आ रहे है। वादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध वास्ता नही है। इस बात पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। प्रतिवादीगण की प्रोपर तामिल नही हुई है। प्रतिवादीगण के फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त तामिल चस्पादगी से कराई है। प्रतिवादीगण हस्ताक्षर करते है जबकि तामिल पर उनके अगूठा निशानी का होना दर्शाया है। निर्णय मे प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का नाम का अंकन किया है वह वादी न0 1 के वारिस के अधिवक्ता रहे है। इस प्रकार तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो व मौखिक साक्ष्यो की तुलना किये बिना ही उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि रेस्पो/वादीगण की आराजी साबिक खसरा न0 494/536/636 रकबा 6 बीघा स्थित ग्राम तिमावा है। जो कि रेस्पो/वादीगण को दिनांक 5.3.86 को आवंटन हुई थी। उक्त भूमि से किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता नही है। उक्त साबिक खसरा न0 के नवीन खसरा न0 1394 रकबा 1.25 है0 सेटलमेंट द्वारा कायम किये है एवं रेस्पो0/वादीगण ही एक मात्र खातेदार काश्तकार है। दौराने भू प्रबंध कार्यवाही रेस्पो/वादीगण का साबिक रकबे के मुकाबले 1 बीघा यानि 0.25 है0 भूमि कम दी गई है। सेटलमेट विभाग द्वारा रेस्पो/वादीगण को साबिक के मुकाबले 1.50 है0 भूमि दी जानी चाहिए थी। परन्तु मात्र 1.25 है0 रकबा ही दिया जो साबिक के मुकाबले 0.25 है0 कम है। भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान रेस्पो/वादीगण की हिस्से की भूमि मे से अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने साज कर ख0न0 1393 रकबा 0.26 है0 तथा 1394 मे से कम करवा कर अपने नाम दर्ज करवा लिया है। जबकि अपीलांट/प्रतिवादीगण का ना तो इस भूमि से कोई वास्ता है और ना ही कब्जा काश्त है एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण की पूर्व से इस भूमि के पास कोई भूमि नही है। सेटलमेंट द्वारा की गई गलत कार्यवाही की जानकारी रेस्पो/वादीगण को समय पर नही हो सकी। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण/रेस्पो0 की कृषि भूमि मे जबरन मजाहमत पैदा करने पर ही सेटलमेंट की गलत कार्यवाही की जानकारी हो पाई थी। जब पटवारी हल्का से सम्पर्क कर विवादित भूमि की नकल प्राप्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही विधि अनुसार निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय मे वादी/रेस्पो0 द्वारा सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी/रेस्पो0 का सेटलमेंट के दौरान साबिक के मुकाबले रकबा 0.25 है0 कायम किये जाने एवं कम किये गये रकबे को अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज आराजी मे शामिल कर दिया गया। जिसे दुरूस्त कराने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 द्वारा चाही गई थी। अपीलांट का कथन रहा कि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा 8 की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विधिक वारिसान को पक्षकार नही बनाया जाकर मृतक व्यक्तियो के खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित की गई है। पत्रावली मे उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्रो की छाया प्रतियो के अनुसार मृतक प्रतिवादी मूडया पुत्र मांग्या की मृत्यु दिनांक 19.12.09 को होना एवं मीठया पुत्र मांग्या की मृत्यु दिनांक 9.3.07 को होना तथा प्रतिवादी मुकेश पुत्र मूडया की मृत्यु दिनांक 31.5.09 को होना साबित होता है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनाक 15.7.15 को पारित की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा 8 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत कोई कार्यवाही नही की जाकर मृतक व्यक्तियो के विरूद्व निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को मृतक व्यक्तियो के विधिक वारिसान को नियमानुसार रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही करते हुए साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान कर पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती के मु0नं0 31/2010 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.15 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक व्यक्तियो के विधिक वारिसान को नियमानुसार रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही करते हुए उनको साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.07.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 26.5.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:22 IST
Reason: SelfAttested